

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 382/2024

अनवान : -

1. अश्वनी कुमार पेड़ीवाल पुत्र ओंकार मल पेड़ीवाल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. विनोद कुमार पेड़ीवाल पुत्र ओंकार मल पेड़ीवाल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।

- वादीगण

बनाम

1. सरीता पुत्री ओंकार मल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. सुमन पुत्री ओंकार मल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 13/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 85/80 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.5420 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता मृतक ओंकारमल पुत्र गजानन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओंकारमल पुत्र गजानन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है ओंकारमल पुत्र गजानन्द का देहान्त हो चुका है तथा ओंकारमल पुत्र गजानन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 का उपरोक्त भूमि पर कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 85/80 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.5420 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 ब0 हि0 ब0 काबिज है।

वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण ओकारमल, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किया जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओंकारमल पुत्र गजानन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है ओंकारमल पुत्र गजानन्द का देहान्त हो चुका है तथा ओंकारमल पुत्र गजानन्द के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 85/80 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.5420 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि वादीगण के पिता मृतक ओंकारमल पुत्र गजानन्द के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में ओंकारमल पुत्र गजानन्द के नाम दर्ज है जो कि वादी का दादी है ओंकारमल पुत्र गजानन्द का देहान्त हो चुका है तथा ओंकारमल पुत्र गजानन्द के जायज वारिसान सजरा

खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स० 1 ता 2 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 2 जो कि वादीगण की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है वादीगण संख्या 1 ता 2 ब० हि० ब० काबिज है, वादीगण के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को कोई ऐतराज नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक ओकारमल के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 85/80 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.5420 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक ओकारमल पुत्र गजानन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 2 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी चक के खाता संख्या 111/6 की भूमि में वादीगण का नाम मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 382/2024

अनवान : -

1. अश्वनी कुमार पेड़ीवाल पुत्र ओंकार मल पेड़ीवाल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. विनोद कुमार पेड़ीवाल पुत्र ओंकार मल पेड़ीवाल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।

- वादीगण

बनाम्

1. सरीता पुत्री ओंकार मल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. सुमन पुत्री ओंकार मल जाति महाजन निवासी परलीका तहसील नोहर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 382 सन 2024 निर्णय दिनांक - 13/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 85/80 के कुल खसरे 18 की कुल तादादी 3.5420 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक ओंकारमल पुत्र गजानन्द का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी चक के खाता संख्या 111/6 की भूमि में वादीगण का नाम मुताबिक शीर्षक दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

RU
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर